न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—160/2019 प्रार्थना पत्र
1—श्री बद्री पिता नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री भंवर पिता नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री पन्ना पिता नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—सोहनी पुत्री नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—गोरी पुत्री नारायण जाट, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थीगण

बनाम

1—श्री मांगीलाल पिता कजोड़ जाट, उम्र बालिग निवासी कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—30.08.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कांदा पटवार हल्का कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1113, 1114, 1115, 1116, 2665/1121 कुल किता 5 रकबा 10.3900 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली क़िये गये। विपक्षीगण उपस्थित नही। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30.8.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूॅं, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम कांदा पटवार हल्का कांदा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ाल आराजी नम्बर 1113, 1114, 1115, 1116, 2665/1121 कुल किता 5 रकवा 10.3900 हैक्टयर भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 4200/–रूपये (चार हजार दौ सो रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner